अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

10 11.07.2024	न्यायालय उपायुक्त, रॉची दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 60 आर० 15 / 2022–23 1. राजु महतो पिता स्व० दुखु महतो 2. मुनकी देवी पति स्व० विकास महतो दोनो निवासी सिमलिया, थाना रातु, जिला रॉची .... प्रार्थी बनाम रामाशंकर यादव पिता स्व० सुखनाथ महतो निवासी सिमलिया, थाना रातु, जिला रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 298 आर० 15 / 2022–23 मे पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची ने उत्तरवादी के द्वारा दायर अपील का स्वीकृत करते हुए दाखिल खारिज वाद सं० 906 आर० 27 / 2022–23 मे दिनांक 24.07.2022 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके अन्तर्गत विद्वान अंचल अधिकारी रातु ने मौजा सिमलिया, थाना रातु, थाना सं० 139 के खाता सं० 211, प्लॉट सं० 1239 रकबा 89.5 डी० भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष मे स्वीकृत किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई तिथियों को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हो रहे हैं। पुनः आज भी पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अब इस पुनरीक्षण वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे खारिज	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	किया जाता है। इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची।	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.07.14 23:50:08 -07:00
Location: 192.168.1.5